



## ‘प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन का अध्ययन’

(बागपत जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ० सतीश कुमार

(प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र)

इंटर कॉलेज कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड

सारांश

औपचारिक शिक्षा हेतु विद्यालय एक सशक्त माध्यम के रूप में वर्धमान है । प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए आधार का काम करती है । प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। ऐसी अवस्था में अध्यापकों का परम दायित्व होता है कि वे छात्रों के समायोजन करने में सहायता करें परन्तु यदि अध्यापक स्वयं समायोजित नहीं हैं तो वो छात्रों के समायोजन में सहायक नहीं हो पाएंगे ।

अध्यापकों की समस्याओं को दूर कर सरकार, प्रबंध तंत्र, समाज, अध्यापकों को अपने विद्यालय एवं परिवेश में समायोजन करने में सहायक होगा । भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा समीक्षा हेतु गठित ताराचंद समिति” ( 1948), 1952 में “प्राथमिक शिक्षा आयोग”, 1965-66 में “राष्ट्रीय शिक्षा आयोग” (कोठारी आयोग) ने भी अपनी सफारिशों में अध्यापक समायोजन पर विशेष बल दिया है ।

संकेत शब्द - प्राथमिक स्तर, समायोजन, आयोग, शिक्षक, समष्टि, परिसूची, सांख्यिकीय, प्रवर्धनां.

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1948 में विश्व विद्यालय आयोग (राधाकृष्णनन कमिशन) का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट में एक सुझाव यह भी दिया कि विश्व विद्यालयी शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पूर्व की प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाये । प्राथमिक शिक्षा हेतु सरकार ने इंटर कमीशन का गठन किया , इस समिति द्वारा शिक्षकों के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया कि शिक्षकों के वेतनमान और सेवाशर्तें “केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रस्तावों के अनुकूल हों” ।



भारत सरकार के द्वारा गठित इंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास को प्राथमिकता देने की सफारिश की। शिक्षकों के वेतनमान निश्चित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने की सफारिश की गयी जो समय-समय पर महंगाई को ध्यान में रखकर निश्चित स्तर के शिक्षकों के वेतनमान निश्चित करे तथा समान योग्यता और समान कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतनमान समान हो चाहे वो कसी भी प्रकार के विद्यालय में कार्यरत हो। ताकि उनके समायोजन में कसी प्रकार की बाधा न पड़े। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) 1965-66 द्वारा भी शिक्षकों के समायोजन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गये।

समाज के विकास में विद्यालयों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार विद्यालयों में शिक्षकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। विद्यालयों में शिक्षा प्रक्रिया द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है।

समाज में नित नये परिवर्तन दृष्टिगोचर होते रहते हैं। नवीन परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं अन्वेषणों के तदनु रूप बदलते समय एवं ज्ञान के साथ समाज में तादात्म्य स्थापित करना होता है, साथ ही समाज को यह व्यवस्था करनी होती है कि परिवर्तनशील दशाओं में उसकी भावी पीढ़ी जो उसका भविष्य है, कुसमयोजित होकर अनुपयोगी न हो जाये। इस हेतु ही शिक्षण व्यवस्था की रचना कर समाज ने उसे शिक्षकों के हाथों में सौंप दिया है। शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु शिक्षकों का समायोजित होना भी अति आवश्यक है।

भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद- 21ए जोड़कर बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समय-समय पर कई शैक्षिक कार्यक्रम जैसे:- शिक्षा गारंटी योजना, मध्याह्न भोजन योजना, प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम आदि चलाये गये। इस प्रकार के कार्यक्रमों की सफलता एवं क्रयान्वयन हेतु सरकार द्वारा भरसक प्रयास किया गया परन्तु इनमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी इन योजनाओं के पूर्ण हो पाने या न हो पाने में अन्य कारणों के साथ-साथ अध्यापकों के समायोजन की भी भूमिका होती है। अध्यापकों का सही रूप से समायोजित न हो पाना, जहाँ उनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव डालता है, वहीं दूसरी ओर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को भी प्रभावित करता है।



उद्देश्य:- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य- “प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन का अध्ययन करना।”

न्यायदर्श:- प्रस्तुत अध्ययन की समष्टि के रूप में बागपत जनपद के प्राथमिक विद्यालयों को लिया गया है। इस समष्टि में से न्यायदर्श के रूप में प्राथमिक विद्यालयों के 100 अध्यापकों (50 ग्रामीण व 50 शहरी) का उद्देश्यपरक न्यायदर्श के रूप में चयन किया गया है।

सीमांकन:- प्रस्तुत अध्ययन को बागपत जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तक सीमित किया गया है।

उपकरण:-

प्रस्तुत अध्ययन हेतु डॉ॰ एस॰के॰ मंगल द्वारा निर्मित “मंगल शिक्षक समायोजन परिसूची (लघुरूप)” (Mangal Adjustment Inventory Short Film) का प्रयोग प्रदत्तों के संकलन हेतु किया गया। इस समायोजन परिसूची का निर्माण भारतीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन या कुसमायोजन का निर्धारण करने हेतु किया गया है। इस परिसूची में कुल 70 पद हैं। जिनका उत्तर दो विकल्प हां या ना के रूप में देना है। लेखक द्वारा इस परिसूची का निर्माण क्रमबद्ध रूप में एवं अत्यन्त सावधानी पूर्वक किया गया है। ये एक मानकीकृत परिसूची है।

प्रदत्तों का विश्लेषण, परिणाम एवं ववेचना :-

डॉ॰एस॰के॰ मंगल द्वारा निर्मित समायोजन परिसूची को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के 100 अध्यापकों (50 शहरी व 50 ग्रामीण) पर प्रसारित किया गया। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय प्रविधियों द्वारा करने पर प्राप्त परिणामों को तालकाक, ख, ग में प्रदर्शित किया गया है।



अध्यापको का समायोजन प्रद र्शत करती ता लका (ग्रामीण अध्यापक)

ता लका “क”

समायोजन का ववरण	अध्यापको का प्रतिशत
बहुत अच्छा	35 प्रतिशत
अच्छा	45 प्रतिशत
औसत	15 प्रतिशत
निम्न	5 प्रतिशत
अत्य धक निम्न	0 प्रतिशत

अध्यापको का समायोजन प्रद र्शत करती ता लका (शहरी अध्यापक)

ता लका “ख”

समायोजन का ववरण	अध्यापको का प्रतिशत
बहुत अच्छा	45 प्रतिशत
अच्छा	40 प्रतिशत
औसत	11 प्रतिशत
निम्न	4 प्रतिशत
अत्य धक निम्न	0 प्रतिशत

अध्यापको का समायोजन प्रद र्शत करती ता लका (पुरुष एवं महिला अध्यापक)

ता लका “ग”

समायोजन का ववरण	अध्यापको का प्रतिशत
बहुत अच्छा	40 प्रतिशत
अच्छा	48 प्रतिशत
औसत	7 प्रतिशत
निम्न	5 प्रतिशत
अत्य धक निम्न	0 प्रतिशत



### ववेचना:-

ता लका “क” में स्पष्ट है क ग्रामीण अध्यापको में 35 प्रतिशत अध्यापको का समायोजन अपने शैक्षक परिवेश में बहुत अच्छा पाया गया । 45 प्रतिशत अध्यापको का समायोजन अच्छा, 15 प्रतिशत अध्यापको का समायोजन औसत स्तर का पाया गया तथा 5 प्रतिशत अध्यापक निम्नस्तर पर समायोजित पाए गए । कोई भी ग्रामीण परिवेश का अध्यापक निम्नस्तर पर समायोजित नहीं पाया गया ।

ता लका “ख” से स्पष्ट है क शहरी अध्यापकों में 45 प्रतिशत अध्यापको का समायोजन अपने शैक्षक परिवेश में बहुत अच्छा पाया गया । 40 प्रतिशत अध्यापको का समायोजन अच्छा, 11 प्रतिशत अध्यापको का समायोजन औसत स्तर पर पाया गया तथा 4 प्रतिशत अध्यापक निम्नस्तर पर समायोजित पाए गए । शहरी क्षेत्र का कोई भी अध्यापक अत्यधिक निम्नस्तर पर समायोजित नहीं पाया गया ।

ता लका “ग” से स्पष्ट क प्राथमिक स्तर के अध्यापको (ग्रामीण व शहरी) में 40 प्रतिशत अध्यापको का समायोजन अपने शैक्षक परिवेश में बहुत अच्छा पाया गया । 48 प्रतिशत अध्यापको का समायोजन अच्छा, 7 प्रतिशत अध्यापको का समायोजन औसत स्तर का पाया गया तथा 5 प्रतिशत अध्यापक निम्नस्तर पर समायोजित पाए गये ।

### निष्कर्ष:-

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है क अधिकतर ग्रामीण व शहरी परिवेश के वद्यालयों के अध्यापको ने अपने-अपने में सही प्रकार से समायोजन कर रखा है तथा जिन अध्यापको का समायोजन कम आया है । उसका कारण वद्यालयों में प्रयाप्त संसाधन उपलब्ध न होना है ।

वद्यालय प्रबंधन तथा ग्रामवासियों का वद्यालय में अनावश्यक दखल देना, कुछ अध्यापको का अन्तर्मुखी होना, अपने समान के प्रति संदेहप्रद रहना, वद्यालयों का मुख्य मार्ग से दूर होना (महिला अध्यापको के सम्बन्ध में) आदि प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त अध्यापको द्वारा छात्र-वृत्ति, मड-डे-मल (कक्षा 1 से 8 ) वद्यालय रख-रखाव आदि के कारण भी अध्यापको को समायोजन में कठिनाई होती है । छात्र-छात्राओं की कम उपस्थिति, वद्यालयों में शौचालयों का अभाव, वद्यालयों में वधुत का अभाव, पर्याप्त संख्या में शक्षको का न



होना, अ भभावकों का सक्रय सहयोग न मलना भी समायोजन को प्रभावत करने वाले कारक पाए गये जिनके कारण अध्यापको का समायोजन प्रभावत होता है ।

ता लका “क” व “ख’ की तुलना करने पर ग्रामीण एवं शहरी अध्यापको के समायोजन में सार्थक अंतर प्राप्त नहीं होता है परन्तु कुछ एक बिन्दुओ जैसे शौचालयों की कमी, वद्यालयों का मुख्य मार्ग से दूर होना आदि ग्रामीण शक्षको के समायोजन को शहरी शक्षको की अपेक्षा अधिक प्रभावत करता है ।

उक्त तालकाओं से स्पष्ट है क वर्णत समस्याओं से निजात पाकर प्राथमक वद्यालयों के शक्षको के समायोजन को बेहतर बनाया जा सकता है तथा वद्यार्थियों की उपलब्धि को भी बेहतर बनाया जा सकता है क्यों क बेहतर रूप से समायोजित शक्षक ही छात्र-छात्राओं को बेहतर शक्षा प्रदान कर सकते हैं ।

शक्षा प्रशासको, प्रबन्धको, नियोजको, अ भभावकों को भी इस और ध्यान देना चाहिए ता क शक्षा की मजबूत नींव पड़ सके । महिला शक्षको को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ाना, अध्यापको से मूल वषयो का अध्यापन करवाना, अध्यापको के सामने आने वाली समस्याओं को प्रशासको, नियोजको, स्थानीय जिम्मेदार व्यक्तियों, अ भभावकों व अध्यापकों द्वारा मलकर दूर कया जा सकता है ।

सन्दर्भ :-

- रायजादा रमाकर, 2010 “नवनियुक्ति शक्षको को शक्षक समझ व प्रशक्षण प्राथमकताएं- प्राथमक शक्षको के वशेष सम्बन्ध में” भारतीय आधुनिक शक्षा 2010 संस्करण एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली ।
- यादव, सतीश कुमार (2009) “अध्यापक शक्षा - समस्या व चुनोतियां” भारतीय आधुनिक शक्षा 30(2) 79-85, एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली ।
- माथुर एस०एस० (2000) – “ शक्षा मनो वज्ञान” वनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
- सिंह अरुण कुमार (2010) – “ शक्षा मनो वज्ञान” बनारसी दास मोतीलाल प्रकाशन, पटना



- क पल एच०के० (2012) –“अनुसन्धान व धर्याँ -व्यवहारपरक वज्ञानों में” एच०पी० भार्गव बुक हॉउस, आगरा
- मंगल एम०के० ( 2007) –“एडवांस एजुकेशन साईकोलॉजी” प्रेन्टिस हॉल ऑफ़ इंडिया प्रा० ल०, नई दिल्ली ।